Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2015/00081 बअनवान रतनसिंह बनाम प्रमोदसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बिजापुर के खसरा नंबर 309, 310, 311 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.92 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के अधिकार अभिलेखों में दर्ज वादी का 1/2 हिस्सा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की मांग की जा रही है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा दलील दी जा रही है कि दिनांक 07.07.1987 को वादी ने उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के पिता को रूपये सात हजार में बेचान बाबत लिखत लिख कर दे दी थी। दिनांक 07.07.1987 के बाद वादी का वादग्रस्त भूमि के किसी भू–भाग पर कोई काश्त व कब्जा नही होने के बावजूद गलत रूप से विभाजन का वाद पेश किया है। जो वाद खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में वादी दखलअंदाजी नही करे इस आशय की सार्वकालिक निषेधाज्ञा वादी के विरूद्ध जारी की जावें। दोनो पक्षों द्वारा किसी प्रकार का मौखिक साक्ष्य पेश नही किया गया। जिससे प्रतिवादीगण के पिता को वादी द्वारा उसके हिस्से बंट की भूमि को बेचने के तथ्य की पुष्टि नही हो पाई। इसी प्रकार वादी द्वारा मात्र रिकार्ड मे दर्ज इन्द्राज के आधार पर वाद पेश किया है। दिनांक 07.07.1987 के पश्चात वादी का वादग्रस्त भूमि के किसी भू–भाग पर कब्जा रहा है। इस तथ्य की पुष्टि में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किया गया इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण दोनो ही पक्षो द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही करने से वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 309, 310, 311 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.92 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के 1/2 हिस्सा के विभाजन बाबत प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)